**प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 59/2023)**

तत्काल प्रकाशन के लिए

**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण**

**भादूविप्रा ने ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र और ओटीटी सेवाओं के चयनात्मक प्रतिबंध पर परामर्श पत्र जारी किया।**

नई दिल्ली, 7 जुलाई 2023 — भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र और ओटीटी सेवाओं के चयनात्मक प्रतिबंध पर एक परामर्श पत्र जारी किया है।

2. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने दिनांक 07.09.2022 को एक पत्र के माध्यम से भादूविप्रा से ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए विनियामक ढांचे पर दिनांक 14.09.2020 की अपनी अनुशंसाओं पर पुनर्विचार करने और ओटीटी के लिए एक उपयुक्त विनियामक तंत्र जिसमें 'ओटीटी सेवाओं पर चयनात्मक प्रतिबंध' से संबंधित मुद्दे भी शामिल हों, का सुझाव देने का अनुरोध किया।

3. पत्र दिनांक 07.09.2022 के माध्यम से, दूरसंचार विभाग ने यह भी उल्लेख किया है कि *"हाल के दिनों में ओटीटी सेवाओं की भारी वृद्धि को देखते हुए और ये सेवाएँ परिपक्व अवस्था में पहुँच गई हैं, इन सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर समग्र रूप से गौर करने की आवश्यकता है जिसमें विनियामक, आर्थिक, सुरक्षा, गोपनीयता एवं संरक्षा पहलू शामिल हैं। यह राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति - 2018 के पैरा 2.2 के अनुरूप भी है, जिसमें 'उभरती प्रौद्योगिकियों के दोहन के लिए एक समग्र और सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करना' नीति लक्ष्य का उल्लेख है। उसमें बताया गया है कि 'ओवर द टॉप' सेवाओं के लिए एक नीतिगत ढांचा विकसित किया जाएगा।"*

4. डीओटी के दिनांक 07.09.2022 के पत्र के जवाब में, भादूविप्रा ने अपने पत्र दिनांक 01.11.2022 के माध्यम से डीओटी को बताया कि *"प्राधिकरण का विचार है कि ओटीटी के लिए उपयुक्त विनियामक ढांचा तैयार करने के लिए एक नई परामर्श प्रक्रिया शुरू की जा सकती है"*।

5. इस संबंध में, हितधारकों से उनकी राय प्राप्त करने के लिए ओवर-द-टॉप (ओटीटी) संचार सेवाओं के लिए विनियामक तंत्र और ओटीटी सेवाओं के चयनात्मक प्रतिबंध पर एक परामर्श पत्र भादूविप्रा की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर रखा गया है। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से 4 अगस्त 2023 तक लिखित टिप्पणियाँ और 18 अगस्त 2023 तक प्रति टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं।

6. टिप्पणियाँ/प्रति-टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, advmn@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम एवं लाइसेंसिंग), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।

हा/-

(वी. रघुनंदन)

सचिव, भादूविप्रा